

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

Board of School Education Haryana, Bhiwani

(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969) (ISO 9001 : 2015 – Certifies Organization)



प्रैस नोट

No.BSEH/SRS/2024

DATE-13.02.2024

NOTIFICATION 32/2024

विषय:—सैकेण्डरी / सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) वार्षिक परीक्षा मार्च—2024 हेतु अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों से INA के अंक तथा GLS/ Co-Curricular Activity Grading के अंक ऑन—लाईन लेने बारे।

सैकेण्डरी / सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) वार्षिक परीक्षा फरवरी / मार्च—2024 हेतु अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयी परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 19.02.2024 से दिनांक 23.02.2024 तक निर्धारित किया गया है। अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों से दिनांक 19.02.2024 से दिनांक 25.02.2024 तक INA तथा GLS (General Awareness and Life Skill Grade) / Co-Curricular Activity Grading के अंक ऑन—लाईन प्राप्त किए जाने हैं। जिसके लिए बोर्ड वैबसाईट पर दिए गए लिंक पर विद्यालय की लॉगिन आई डी व पासवर्ड का उपयोग करते हुए ऑन—लाईन भेजे जाने होंगे।

निर्धारित तिथि तक जो विद्यालय परीक्षार्थियों के प्रायोगिक विषयों की परीक्षा एवं INA तथा GLS (General Awareness and Life Skill Grade) / Co-Curricular Activity Grading के अंक ऑन—लाईन नहीं भेजेंगे ऐसे विद्यालय 500 / रु० प्रति परीक्षार्थी व अधिकतम 5000 / रु० जुर्माने के साथ दिनांक 26.02.2024 तक अंक ऑन—लाईन भरना सुनिश्चित करें, इसके उपरान्त किसी भी प्रतिवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा जिसके लिए विद्यालय मुखिया स्वंय जिम्मेवार होंगे।

इसके अतिरिक्त सभी विद्यालय मुखिया यह सूचना (यदि कोई ऐसा मामला हो तो केवल उनके लिए) उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें कि "जिन विद्यालयी परीक्षार्थियों का चयन राज्य/राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के खेलों में हुआ है तथा ऐसे परीक्षार्थी परीक्षाओं की निर्धारित तिथियों में किसी विषय/विषयों की परीक्षाओं में अपीयर नहीं हो सकते हैं तो ऐसे परीक्षार्थियों की सूची सम्बन्धित विद्यालय साक्ष्यों सहित बोर्ड कार्यालय में परीक्षाओं के आरम्भ होने से 07 दिन पूर्व उपलब्ध करवाएं ताकि उनकी पुनः परीक्षाएं आयोजित करवाने से संबंधित कार्यवाही की जा सके।"

अतः सभी प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक समय रहते कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष











हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

Board of School Education Haryana, Bhiwani



(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969) (ISO 9001 : 2015 – Certifies Organization)

प्रेषक:	सेवा में,
सचिव,	सभी प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड,	, 3
भिवानी।	

क्रमांक—3580 / सी0सै0 दिनांक :16.02.2024

विषय:—सैकेण्डरी / सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) वार्षिक परीक्षा मार्च–2024 हेतु अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों से INA तथा GLS/ Co-Curricular Activity Grading के अंक ऑन—लाईन लेने बारे।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापकों को निम्नानुसार सूचित किया जाता है कि:-

सैकेण्डरी / सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक) वार्षिक परीक्षा फरवरी / मार्च—2024 हेतु अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयी परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 19.02.2024 से दिनांक 23.02.2024 तक निर्धारित किया गया है। अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों के दिनांक 19.02.2024 से दिनांक 25.02.2024 तक INA तथा GLS (General Awareness and Life Skill Grade) / Co-Curricular Activity Grading के अंक ऑन—लाईन प्राप्त किए जाने हैं। जिसके लिए बोर्ड वैबसाईट पर दिए गए लिंक पर विद्यालय की लॉगिन आई डी व पासवर्ड का उपयोग करते हुए ऑन—लाईन भेजे जाने होंगे।

निर्धारित तिथि तक जो विद्यालय परीक्षार्थियों के प्रायोगिक विषयों की परीक्षा एवं INA तथा GLS (General Awareness and Life Skill Grade) / Co-Curricular Activity Grading के अंक आन—लाईन नहीं भेजेंगे ऐसे विद्यालय 500 / रु० प्रति परीक्षार्थी व अधिकतम 5000 / रु० जुर्माने के साथ दिनांक 26.02.2024 तक अंक ऑन—लाईन भरना सुनिश्चित करें, इसके उपरान्त किसी भी प्रतिवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा जिसके लिए विद्यालय मुखिया स्वंय जिम्मेवार होंगे।

इसके अतिरिक्त सभी विद्यालय मुखिया यह सूचना (यदि कोई ऐसा मामला हो तो केवल उनके लिए) उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें कि "जिन विद्यालयी परीक्षार्थियों का चयन राज्य/राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के खेलों में हुआ है तथा ऐसे परीक्षार्थी परीक्षाओं की निर्धारित तिथियों में किसी विषय/विषयों की परीक्षाओं में अपीयर नहीं हो सकते हैं तो ऐसे परीक्षार्थियों की सूची सम्बन्धित विद्यालय साक्ष्यों सहित बोर्ड कार्यालय में परीक्षाओं के आरम्भ होने से 07 दिन पूर्व उपलब्ध करवाएं तािक उनकी पुनः परीक्षाएं आयोजित करवाने से संबंधित कार्यवाही की जा सके।"

अतः सभी प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक समय रहते कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उप—सचिव(परीक्षाएं) कृते : सचिव







